

# फर्द अहकॉम

(नियम 26)

राज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रामसर व मुकाम रामसर  
 शेनादाम बनाम शेनादाम वगैः

किस्म मुकदमा..... 188/53

मुकदमा नम्बर..... 50/25/20

| तारीख हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|--|--|
| 25/6/25    | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>जुगतर सिंह बोडा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>188/53</u> राजस्थान कारतकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>11/7/25</u> को पेश हो।</p> |  |
| 11/7/25    | <p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी गण का उत्तराट होकर पत्रावली दिनांक 25/7/25 को पेश हो।</p>  |  |
| 25/7/25    | <p>पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान वकील पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्य में व्यस्त/मुह्यारुथ से बाहर होने से पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>29/8/25</u> को पेश हो।</p>  |  |
| 29/8/25    | <p>पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान वकील पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्य में व्यस्त/मुह्यारुथ से बाहर होने से पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>26/9/25</u> को पेश हो।</p>  |  |
| 26/9/25    | <p>पत्रावली आज पेश हुई। प्रतिवादी गण का उत्तराट होकर पत्रावली दिनांक 29/10/25 को पेश हो।</p>   |  |



08/4/26

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

08/4/26

पत्रावली आज पेश डी व डी व डी  
अनुपस्थित व डी स्नेय उफ नही। -यात्रावय  
समय में प्रथम - प्रथम रूप से अखि  
तीनबाट कबजे सगोत्र के बाद भी  
वाडी एवं वकील उफ नही। एवं कोर्ट  
उठने से पूर्व अंतिमबाट भी कबजे सगोत्र  
के उपरांत भी वाडी एवं व डी व डी व डी  
से कोर्ट भी उपस्थित नही होने से जाहिर  
होता है कि वाडी एवं व डी व डी व डी  
बाद में कोर्ट चैटकी नही चाहते हैं। सिखा  
वाडी का बाद अहम पैकी अहम हाजरी  
में खोज किया जाता है पत्रावली  
फैसल सुमाट होकर नंबर से कम हो  
दाखिल दफ्तार हो।

